

08-07-17

प्रकरण आज दिनांक 08.07.17 को लोक अदालत में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

खात्मा प्रकरण साक्ष्य एवं विचार हेतु नियत है।

सारवान साक्ष्य ली जा चुकी है।

एडीपीओ को सुना गया।

थाना गोहद के अप0क0-39/16 के अनुसार दिनांक 03.02.16 को फरियादी रामौतार मोटरसाईकिल क0 एम0पी0-30 एम0एफ0-0158 से जनपद पंचायत गोहद में मीटिंग हेतु आया था। भवन के बाहर मोटरसाईकिल लॉक कर चला गया। तीन घण्टे के बाद भवन से बाहर आया तो मोटरसाईकिल रखे स्थान पर नहीं मिली। जिसके संबंध में प्राथमिकी लेखबद्ध कराई गयी।

वाहन का पंजीकृत स्वामी फरियादी रामौतार का भाई संतोष जाटव कथन हेतु उपस्थित हुआ। उसके द्वारा कथन किया गया कि उसका भाई मोटरसाईकिल से जनपद पंचायत में मीटिंग हेतु आया था और उक्त दिनांक को मोटरसाईकिल किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी। पुलिस के द्वारा मोटरसाईकिल तलाशने का पर्याप्त प्रयास किया गया। वह पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट है, खात्मा स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की है।

अनुसंधानकर्ता रमेश जाटव द्वारा कथन किया गया कि प्राथमिकी पंजीबद्ध किए जाने की दिनांक से मोटरसाईकिल को तलाश किए जाने का पर्याप्त प्रयास किया गया किन्तु संपत्ति तथा अभियुक्त का पता नहीं चला। अतः दि0 05.08.16 को खात्मा प्रतिवेदन तैयार किया।

खात्मा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा अग्रेषित किया गया है। चोरी की घटना हुए एक वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। साथ ही अभियुक्त अथवा माल के प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है।

अतः खात्मा प्रतिवेदन क0 6/16 अंतर्गत धारा 379 भादस0 मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0-30 एम0एफ0-0158 के संबंध में विचारोपरांत स्वीकार किया जाता है। खात्मा स्वीकृत किए जाने की टीप मूल खात्मा प्रतिवेदन पर अंकित की जावे। खात्मा प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न कर खात्मा प्रतिवेदन सहित संलग्न दस्तावेज आरक्षी केन्द्र को लौटाए जाए।

आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकार को दी जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर प्रकरण संचयन हेतु अभिलेखागार प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)